

30/9
24

पत्रावली पेशी में ली गई। वादी अनुपस्थित
वादी को बार-बार आपन लगाने की कोशिश
नहीं आए। वादी व वादी वकील के अनुसार
पत्रावली उपस्थित नहीं होने के कारण
वाद पत्र अदालत में अदालत के
द्वारा भिजा जा रहा है। पत्रावली के
से काम की जाकर दायित्व बफर की
जाती है।

बिबि
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

